

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 422]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 2 अगस्त 2017—श्रावण 11, शक 1939

नगरीय विकास एवं आवास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 2 अगस्त 2017

अधि. क्र. 79-एफ-1-13-2016-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा, निम्नलिखित नगरपालिक निगमों में उनके नाम के सामने अंकित व्यक्तियों को वर्तमान निगमों परिषद् के सहविस्तारी कार्यकाल या राज्य शासन के अन्य आदेश तक, जो भी पहले हो तक, के लिए उनके नाम के सामने अंकित व्यक्तियों को पार्षद के रूप में नामनिर्दिष्ट करता है:—

क्र. (1)	नगरपालिक निगम का नाम (2)	क्र. (3)	नामनिर्दिष्ट व्यक्ति का नाम, पिता/पति का नाम एवं पता (4)
1	नगरपालिक निगम बुरहानपुर	1	श्री प्रकाश तायडे, श्री छगन तायडे, शाह बाजार, बुरहानपुर
		2	श्री राजाराम सुखदाने, श्री रामचन्द्र सुखदाने, बुधवारा, बुरहानपुर
		3	श्रीमती अफसाना बानो, श्री जहररूद्दीन, तिलक वार्ड, बुरहानपुर
		4.	श्री दिगंबर जी, श्री सूर्यभान जी गुलशकर, वकील चाल लाला बाजार, बुरहानपुर.
		5.	श्री रामचंद्र पंचराम, श्री कन्हैया पंचराम, रास्तीपुरा, बुरहानपुर.
2	नगरपालिक निगम, सिंगरौली	1.	श्रीमती किरण शर्मा, श्री रामगोपाल शर्मा, म. नं. 3/315, न्यू मार्केट वार्ड नं. 03, सिंगरौली.
		2.	श्री किशन बसोर, श्री खिलाडी बसोर, ग्राम पो. भरूहा, सिंगरौली
		3.	श्री विश्वनाथ अग्रवाल, श्री दशरथ अग्रवाल, एलआईजी-17, मोरवा, सिंगरौली.
		4.	श्री कृष्ण कुमार कुशवाह, श्री मुनीदेव कुशवाह, ग्राम पो. भरूहा, सिंगरौली.
		5.	श्रीमती सीमा जायसवाल, श्री संतोष जायसवाल, तुलसी मार्ग बैदून, जिला सिंगरौली.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

भरत यादव, उपसचिव.